



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 05.09.2023

No. 2023/HQ/Admin/RTI-772

श्री पातीराम
पुत्र श्री गिरधारी लाल
निवासी-संत रविदास नगर
कस्बा-दिबियापुर, औरैया-206244
मोबाइल-9927657103

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 22.08.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 29.08.2023 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ

सुशर्मा
(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 04.09.2023

संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशासन/ज०सू०अ०


डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

नई दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री पाती राम पुत्र गिरधारी लाल, निवासी- सन्त रविदास नगर, पोस्ट- दिबियापुर, जनपद- औरैया के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-
- I. मुख्यालय द्वारा प्राप्त RTI संख्या- 772 दिनांक 01.09.2023.
 - II. उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/न्यू भाउपुर के पत्र संख्या CNB/EN/LA/Arb./Y-23/M-09 दिनांक 01.09.2023.

उपरोक्त सन्दर्भित RTI पत्र मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/न्यू भाउपुर द्वारा प्रदान की गयी जानकारी इस पत्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।


(विक्रम वलेशा)
4-9-23

कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक/मानव संसाधन/APIO/टूंडला

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक/समन्वय/टूंडला को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

CGM's Tundla Office-DFCCIL Office Complex, New Tundla Station/EDFC, Village- Bhakti Ghari, Tehsil-Tundla, District- Firozabad, Uttar Pradesh, Pin-283204

E mail- cgmtundla@dfcc.co.in,
Website www.dfccil.gov.in



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

No.- CNB/EN/LA/Arb./Y-23/M-09/

Date:- 01.09.2023

सेवा में

महा प्रबन्धक / सिविल
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
दुण्डला।

विषय:- श्रीमान पातीराम पुत्र गिरधारी लाल निवासी ग्राम-सन्त रविदास नगर पोस्ट- दिवियापुर
जनपद- औरैया द्वारा प्रस्तुत RTI -772 दिनांक 29.08.2023 (ई-मेल द्वारा प्राप्त) के
निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

1. मा० न्यायालय आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पारित आदेशा दिनांक 29.08.2023.
2. प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022.
3. सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी कानपुर का पत्र दिनांक 13.10.2022.(गणना शीट)
4. इस कार्यालय का पत्र सं० CNB/EN/LOT-101/Y-22/m-10/588 दिनांक 19.10.2022.
5. विधिक सलाहकार श्री कृपा शंकर टंडन का पत्र दिनांक 12.11.2022.
6. इस कार्यालय का नोट दिनांक 17.11.2022.
7. इस कार्यालय का नोट दिनांक 18.03.2023
8. इस कार्यालय का पत्र सं० CNB/EN/LA/AU/Arb./Y-23/M-04/92 दिनांक 10.04.2023
9. श्रीमान तहसीलदार/बिधूना का पत्र सं०522/रा०लि०-जांच/2023 दिनांक 26.05.2023

उपरोक्त विषय का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन
आफ़े इण्डिया लि० (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालभाडा परियोजना के अंतर्गत
ग्राम-विझाई तहसील-बिधूना, जनपद-औरैया में प्रभावित भू-स्वामि श्रीमान पातीराम पुत्र गिरधारी लाल
द्वारा मा० न्यायालय आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के समक्ष दायर वाद सं०
185/2017, 187/2017, 188/2017, 190/2017 में पारित आदेशो के अनुपालन में पुनरक्षित प्रतिकर
का भुगतान किया जाना है।

उक्त क्रम में पुनरक्षित प्रतिकर के भुगतान हेतु पत्रावलियों को महा प्रबन्धक/समन्वय के
आदेशानुसार e-Office के माध्यम से प्रेषित कि गई थी। जिसके क्रम में दिनांक 29.08.2023 को महा
प्रबन्धक/समन्वय के कार्यालय में आहूत बैठक मे पूर्व में भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु जारी प्रपत्रो को
पत्रावली के साथ सुलगन कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे पूर्व में दिये गये प्रतिकर
भुगतान की जांच कर पुनरक्षित प्रतिकर का भुगतान किया जा सके।

उक्त RTI -772 दिनांक 29.08.2023 के निस्तारण के सम्बन्ध में बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है,

1. बिन्दु सं०-1 के क्रम मे आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त वाद सं० 185/2017, 187/2017,
188/2017, 190/2017 के क्रम में मा० न्यायालय आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर
द्वारा दिनांक 27.09.2018 को मध्यस्ता का आदेशा पारित किया गया था। जिसके क्रम में प्रार्थी



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

- द्वारा दिनांक 06.06.2022 को प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी कानपुर के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त आदेश के अन्तर्गत पुनरक्षित प्रतिकर के भुगतान की मांग की गई थी। जिसके क्रम में सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी कानपुर द्वारा दिनांक 13.10.2022 को पुनरक्षित प्रतिकर की गणना कर पत्रावली डी0एफ0सी0सी0 कार्यालय कानपुर में प्रस्तुत की गई। जिसके उपरान्त अधोहरतक्षरी द्वारा मा0 न्यायालय आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पारित मध्यस्ता का आदेशों के क्रम में विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19.10.2022 को सूचित किया गया था। जिस पर विधिक सलाहकार श्री कृपा शंकर टंडन द्वारा दिनांक 12.11.2022 को पत्र प्रेषित कर विधिक सलाह उपलब्ध करायी। जिसके उपरान्त अधोहरतक्षरी द्वारा सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी कानपुर द्वारा दिनांक 13.10.2022 को उपलब्ध कराई गयी पुनरक्षित प्रतिकर की गणना शीट की धनराशि की स्वीकृती हेतु दिनांक 17.11.2022 को पत्रावली आपके कार्यालय में प्रेषित की गई, जिस पर दिनांक 31.12.2022 को स्वीकृती प्रदान की गई। स्वीकृती प्राप्त होने के उपरान्त अधोहरतक्षरी द्वारा पुनः दिनांक 18.03.2023 को पत्रावली में फार्म-11 को तैयार कर भुगतान की स्वीकृती हेतु प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 03.04.2023 को महा प्रबन्धक/समन्वय द्वारा स्वीकृती प्रदान करने के उपरान्त भुगतान हेतु सी0सी0फार्म को तैयार कर सत्यापन हेतु दिनांक 10.04.2023 को तहसीलदार/बिधूना के कार्यालय में प्रेषित किये गये थे। जिसके क्रम में श्रीमान तहसीलदार/बिधूना के कार्यालय द्वारा दिनांक 26.05.2023 को सी0सी0फार्म को सत्यापित कर प्रस्तुत किया गया है।
2. बिन्दु सं0-2 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि 10 प्रतिशत सुखाधिकर एवं अन्य प्रतिकर के समबन्ध में सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी कानपुर द्वारा दिनांक 13.10.2022 को पुनरक्षित प्रतिकर की गणना कर पत्रावली डी0एफ0सी0सी0 कार्यालय कानपुर में प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार ही पुनरक्षित प्रतिकर का निर्धारण किया गया है।
 3. बिन्दु सं0-3 के क्रम में प्रति उत्तर बिन्दु सं0-1 में दिया जा चुका है।
 4. बिन्दु सं0-4 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि पुनरक्षित प्रतिकर के अतिरिक्त भविष्य में कोई पुर्नवास सहायता राशि देय नहीं है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

C. S. Chandra
उप परियोजना प्रबंधक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
न्यू भाऊपुर।

01-09-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबंधक / समन्वय /, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, दुण्डला ।
2. महाप्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, दुण्डला ।
3. सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर।
4. उप मुख्य परियोजना प्रबंधक / ईजी / दुण्डला।
5. परियोजना प्रबंधक / ईजी / दुण्डला।